

जीसियो नियम फार्मूला

बिना पति के अकेली स्त्री के अधिकार

सरकारी मदद भूमी घर

1. भारतीय बिना पति के अकेली स्त्री को । पी कार्ड धारक । भारत प्रत्येक नागरिक को । सरकारी मदद भूमि । 1 किचेन । 1 बेड रूम । 1 हाल । 1 बाथरूम का । 400 स्क्वायर फिट का 1 ही घर मिलेगा ।
2. जिस पर । पी कार्ड धारक का । आजीवन अधिकार होगा ।
3. इससे अधिक अवैध । जमीन । घर । कोठी । बंगला । दुकान । प्लाट । खेती जमीन । पर भारत सरकार का अधिकार होगा ।

अधिक घर

1. वर्तमान स्थिति मे । यदि किसी भी भारतीय बिना पति के अकेली स्त्री को । पी कार्ड अंकित । सरकारी मदद भूमी । 1 किचेन । 1 बेड रूम । 1 हाल । 1 बाथरूम का । 400 स्क्वायर फिट का 1 घर । जब तक नहीं मिलता ।
2. तब तक किसी भी भारतीय बिना पति के अकेली स्त्री को । चाहे घर जमीन मे हो । य किसी भी खण्ड मे । सिर्फ 400 स्क्वायर फिट का घर ही मिलेगा ।
3. भारतीय बिना पति के अकेली स्त्री यदि । किसी भी परिस्थिति मे । यदि 400 स्क्वायर फिट के घर से ज्यादा । उपयोग कर रही है ।
4. तो बिना पति के अकेली स्त्री को । उस अधिक घर का । 1 रू स्क्वायर फिट के हिसाब से हर महीने । पी कार्ड से । अधिक घर का किराया । भारत सरकार नगर पालिका के । एन कार्ड मे जमा करना होगा ।

पी कार्ड अंकित जेवर य नग

1. भारतीय स्त्री के पी कार्ड मे । जेवर य नग के फोटो । और कोड नं के साथ । अंकित 10 तोला सोना । 500 ग्राम चांदी । और 2 लाख के नग । से ज्यादा अंकित नहीं होगा ।
2. इतना ही वैध होगा । इससे अधिक होने पर । उस पर भारत सरकार का अधिकार होगा ।

अधिक अवैध जेवर नग

1. अगर किसी भी । स्त्री य पुरुष य बच्चे के पास । जीसियो नियम अधिकृत । जेवर नग से । अधिक । जेवर नग पाये जाते हैं ।
2. तो उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे के । अवैध । जेवर य नग को । भारत सरकार जप्त करेगी ।
3. और जीसियो नियम अधिकृत । जेवर नग को भी । भारत सरकार जप्त करेगी ।

जीसियो नियम फार्मूला बिना पति के अकेली स्त्री के अधिकार

4. तथा उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । आजीवन । जेवर य नग पहनने के अधिकार से । वंचित रखा जायेगा ।
5. और उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । आजीवन । जेवर य नग पहनना अवैध होगा ।
6. तथा उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे के । पी कार्ड मे । आजीवन । जेवर य नग अंकित नहीं होंगे ।
7. और यदि । पी कार्ड मे आजीवन । जेवर य नग अंकित बैन । होने पर भी । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । जेवर य नग । उपयोग करते पकड़ा जायेगा ।
8. तो उस । अवैध । जेवर य नग को भी । भारत सरकार जप्त करेगी ।
9. तथा उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । कम से कम । 6 महीने की । कठिन कारावास होगी ।
10. 6 महीने की । कठिन कारावास से । बाहर निकलने के बाद भी ।
11. उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे के । पी कार्ड मे । आजीवन । जेवर य नग अंकित नहीं होंगे ।
12. किसी भी । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । जितनी बार । अवैध जेवर य नग । उपयोग करते पकड़ा जायेगा ।
13. उतनी बार । उस । अवैध जेवर य नग को । भारत सरकार जप्त करेगी ।
14. और उतनी बार । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । कम से कम 6 महीने की कठिन कारावास होगी ।
15. और कभी भी । 6 महीने की कठिन कारावास से । बाहर निकलने के बाद भी ।
16. उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे के । पी कार्ड मे आजीवन । जेवर य नग अंकित नहीं होंगे ।
17. और इस अपराध की । आजीवन माफी नहीं मिलेगी ।
18. हर बार । अवैध जेवर य नग । उपयोग करने पर ।
19. अवैध जेवर य नग को । भारत सरकार जप्त करेगी ।
20. और उस । स्त्री य पुरुष य बच्चे को । 6 महीने की कठिन कारावास होगी ।
21. और पी कार्ड मे । आजीवन । जेवर य नग अंकित नहीं होंगे ।

भारतीय बिना पति के अकेली स्त्री । जीसियो नियम अधिकृत । सभी कार्डों का उपयोग कर सकती है ।

जय विश्व अग्रणी भारत की